



भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर मृत्यु मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आई.सी.सी.) ने साल 2021 की "सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर" चुना है। वीते साल एक नहीं बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टी-20, टेस्ट क्रिकेट और वन डे क्रिकेट) में स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। मंधाना ने पिछो साल 22 इंटरनेशनल मुकाबलों में 855 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अंधशतक शामिल हैं। स्मृति मंधाना ने 2018 में भी यह पुरस्कार जीता था और वे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लंड क्रिकेटर भी चुनी गई थीं। झूलन गोस्वामी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली स्मृति द्वासरी भारतीय महिला क्रिकेटर है। झूलन गोस्वामी को 2007 में यह पुरस्कार मिला था। पिछो साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले का कमाल जारी रखा। उन्होंने इस साल सात अंतर्राष्ट्रीय तक हर टीम के खिलाफ जमकर रन बनाए। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र पिंक बॉल टेस्ट में भी मंधाना ने ऐंटीहासिक शतक लगाया था। आई.सी.सी. ने पाकिस्तान के युवा गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी को 'पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर' घोषित किया है।

26 जनवरी को आतंकवादी गतिविधि की धमकी

हिजबुल मुजाहिदीन व "सिख फॉर जस्टिस" ने यह धमकी देते हुए सैकड़ों "ऑडियो मैसेज" भेजे

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लू-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने बीकींओं को सम्पादन किया और उन्हें अत्याधिक फॉन कल्पना से प्राप्त रिकॉर्ड संरक्षण के एक और प्रकरण के अन्तर्गत पालिकरान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस के मार्गदर्शकों को बांधित करने की धमकी दी है। उक्त आतंकी संगठन ने कश्मीरीयों से खाड़ी छोड़कर दिल्ली जाने, वहाँ अनुच्छेद 370 को रुद्र किये जाने पर विवाद-प्रसारण करते हुये, बुधवार को वहाँ "कश्मीरी छँड़ा" फहराने का आवाहन किया है। एक अन्य

- ऑडियो मैसेज के अनुसार दोनों संगठनों ने कश्मीरियों से आग्रह किया है, प्र.मंत्री के कार काफिले पर हमला करें व कश्मीर का छाणा फहराये दिल्ली में।

कश्मीरीयों को दिये गये विशेषाधिकारों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिये गये विशेषाधिकारों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये गये हैं।

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है। अब यह मुद्रित दिल्ली में कर्मियों के उत्तराधिकारों के तहत एक अनुच्छेद 370 के रूप में दिये गये हैं। जिसमें विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरीयों को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय को कथित रूप से एस.एफ.जे. एप्नुयत्वन्त सिंह पूर्व द्वारा जारी किये

